राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 26/2020 निर्णय दिनांक : 18.12.2023

**बिरबल वगै0 बनाम लक्ष्मण सिंह वगै0**

1. बीरबल
2. विद्याधर
3. रामदेव

समस्त पुत्रगण मगाराम जाति जाट निवासी भालोठियां की ढाणी तन काली पहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं

——— वादीगण

**बनाम**

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी भालोठियां की ढाणी तन काली पहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
2. झिमकोरी पत्नी चरण सिंह
3. मंजू पुत्री चरण सिंह

   समस्त जाति जाट निवासी इंडियन स्कूल के पिछे रिको झुंझुनूं
4. सज्जना देवी पत्नी सुल्तान
5. राकेश पुत्र सुल्तान
6. विजय कुमार पुत्र सुल्तान
7. मनोज पुत्र सुल्तान

   समस्त जाति जाट निवासी भालोठियां की ढाणी तन काली पहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
8. पाना देवी पत्नी हरिराम
9. रघुवीर पुत्र हरिराम
10. रोहिताश पुत्र हरिराम
11. सुरेश पुत्र हरिराम

    समस्त जाति जाट निवासी भालोठियां की ढाणी तन काली पहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
12. विमला पत्नी ओमप्रकाश
13. इन्द्रा पत्नी छोटू सिंह
14. संगीता पत्नी सुरेन्द्र

    समस्त पुत्रियां हरिराम जाति जाट निवासी सेही बड़ी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं
15. अनिता पत्नी सुभाष
16. प्रमिला पत्नी रमेश

    समस्त पुत्रियां हरिराम जाति जाट निवासी मण्डी के पिछे सूरजगढ जिला झुंझुनूं
17. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बगड़
18. राजस्थान ग्रामिण बैंक शाख बगड़
19. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं

——— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम काली पहाड़ी तहसील झुंझुनूं में गत भूमि खसरा नं. 97 रकबा 62 बिघा 3 बिश्वा स्थित थी जिसमें वादीगण के पिता मगाराम 5 बिघा 13 बिश्वा भूमि का सह खातेदार था। मगाराम का नाम जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 में है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 में वादीगण के दादा का नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2018 से 2021 में भी वादीगण के पिता का नाम दर्ज है। वादीगण के दादा गणेशा की काश्त भी सम्वत 2012 की जमाबंदी में दर्ज है। इस प्रकार वादीगण के पिता तथा दादा गत खसरा नं. 97 के सह खातेदार रहे हैं। खसरा नं. 97 के बट्टा नम्बर बने जिससे 97/1 से 5 व 7 से 10 रकबा 57 बिघा 5 बिश्वा दर्ज हुए जिसके हाल खसरा नं. 278 रकबा 0.62 है0, 279 रकबा 0.86 है0, 280 रकबा 2.37 है0, 281 रकबा 1.74 है0, 282 रकबा 1.71 है0, 283 रकबा 1.12 है0, 285 रकबा 1.85 है0, 291 रकबा 0.62 है0, 292 रकबा 1.00 है0, 293 रकबा 0.01 है0, 294 रकबा 1.14 है0, 296 रकबा 1.44 है0 हुए। उक्त भूमि बाबत वादीगण के पिता मगाराम के नाम खसरा नं. 97/7 रकबा 5 बिघा 13 बिश्वा का दिनांक 16.08.1975 को नामान्तकरण तस्दीक हुआ जो दिनांक 31.07.1975 के आदेश के क्रम में तस्दीक हुआ। वादीगण हाल खसरा नं. 281 रकबा 1.74 है0 भूमि को काश्त करते हैं व काबिज हैं। वादीगण के पिता के नाम खसरा नं. 97/7 रकबा 5 बिघा 13 बिश्वा की पासबुक भी जारी हो गई। वादीगण के पूर्वजों ने ठिकाने में लगान जमा करवाया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात नामान्तकरण व पास बुक वादीगण के पूर्वजों के नाम जारी हुई। वादीगण मौके पर खसरा नं. 281 की भूमि को पूर्वजों के समय से काश्त कर रहे हैं जिसके बाबत राजस्व कर्मचारियों ने गलत रिकॉर्ड बना दिया तथा नामन्तकरण तस्दीक होकर पास बुक जारी होने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। अतः वादीगण नामान्तकरण संख्या 245 के अनुशरण में राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नं. 281 रकबा 1.74 है0 पर गलत राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठा कर ऋण लिया है जो लक्ष्मण सिंह की भूमि नहीं है। उक्त ऋण लक्ष्मण सिंह की अन्य भूमि पर माना जाना न्यायोचित है। वाद में मृतक रूकमा व बादामी के वारिसान को भी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 16 ने अपना विभाजन अलग करवा लिया है, केवल दावा में नुक्स नहीं रहे इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 गलत राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टि के आधार पर जमीन जैर बहस को विक्रय करना चाहते जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं है।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 16 की ओर से अधिवक्ता श्री जय सिंह गौड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। समयावधि में जबाब दावा पेश नहीं करने पर इनकी जबाबदेही बंद की गई। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने साक्ष्य के रूप में रामदेव का चीफ शपथ पत्र बयान चीफ पी डब्ल्यू 1 पेश किया तथा वर्णित तथ्यों की ताकिद में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड में प्रर्दश 1 लगायत 15 डाले गये। प्रकरण में बहस सुनी गई। तद्उपरान्त वाद पत्र में व साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रर्दश 1 लगायत 15 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस योग्य अधिवक्ता पर बगौर मनन किया गया। वाद में चाहे गये रिलिफ की पुष्टि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड प्रर्दश 1 लगायत 15 से होना स्पष्ट रूप से जाहिर है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायालय मत पर न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :–

उपखण्ड अधिकारी

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राके ग्राम काली पहाड़ी तहसील झुंझुनूं में गत भूमि खसरा नं. 97 रकबा 62 बिघा 3 बिश्वा स्थित जिसके बट्टा नम्बर बने जिससे 97/1 से 5 व 7 से 10 रकबा 57 बिघा 5 बिश्वा दर्ज हुए जिसके हाल खसरा नं. 278 रकबा 0.62 है0, 279 रकबा 0.86 है0, 280 रकबा 2.37 है0, 281 रकबा 1.74 है0, 282 रकबा 1.71 है0, 283 रकबा 1.12 है0, 285 रकबा 1.85 है0, 291 रकबा 0.62 है0, 292 रकबा 1.00 है0, 293 रकबा 0.01 है0, 294 रकबा 1.14 है0, 296 रकबा 1.44 है0 में वाद पत्र की धारा 13 (क), (ख) के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा लिये गये ऋण से वादी के घोषित हिस्से से रहन मुक्त कर रहन की प्रविष्टि हटाकर संशोधित कर देवें। प्रतिवादी संख्या 17 व 18 जिनके विरूद्ध वाद में एक पक्षीय कार्यवाही है, को निर्णय की प्रति भिजवाकर सुचित किया जावे कि प्रतिवादीगण को दिये गये ऋण की सुरक्षा हेतु वह प्रतिवादीगण की शेष बची कृषि भूमि को रहन कर ऋण सुरक्षित करें। वाद पत्र निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner